न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी : **शिवांगी स्वर्णकार,** आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 04/2012 (रेफरेंस)
पंजीयन दिनांक 03.09.2012

सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार चित्तौड़गढ़

–प्रार्थी

बनाम

आयुक्त नगर परिषद, चित्तौड़गढ़

–विपक्षी

कार्यवाहीः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 232 आर. टी. ए. 1955

उपस्थितिः– 1– श्री मनोहर लाल दक, राजकीय अभिभाषक
2– श्री रमेश चन्द्र गर्ग, अधिवक्ता विपक्षी

निर्णय

दिनांक 03.09.2019

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी भूमिधारी (तहसीलदार) चित्तौड़गढ़ ने यह प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम चित्तौड़गढ़ तहसील चित्तौड़गढ़ की साबिक आराजी नम्बर 1589 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा किस्म नाडी होकर बिलानाम मेवाड़ बन्दोबस्त में दर्ज थी। उक्त भूमि की किस्म नाडी होने से इसे किसी भी व्यक्ति को आवंटन नहीं किया जा सकता था। इस भूमि के अन्य आराजी नम्बरों के साथ नवीन आराजी नम्बर 2334 रकबा 6.27 है. बने हैं जिसमें से 0.24 हैक्टेयर भूमि पूर्व आराजी नम्बर 1589 की है जो विपक्षी के नाम आवंटन से राजस्व रेकार्ड में आबादी नगर पालिका चित्तौड़गढ़ के नाम से अंकित है जो कि राजस्थान भू

जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़

राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के विपरीत है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के डी. बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 श्री अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 02.08.2004 के निर्देशानुसार 15 अगस्त 1947 के समय के मौका एवं रेकार्ड की स्थिति को यथावत रखने हेतु यह आवेदन प्रस्तुत किया है। अतः ग्राम चित्तौड़गढ़ की आराजी नम्बर 2334 रकबा 6.27 हैक्टेयर में से 0.24 हैक्टेयर भूमि को पुनः पूर्व अंकन अनुसार रेकार्ड में बिलानाम नाडी दर्ज की जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को सूचना पत्र जारी किया गया। विपक्षी की ओर से अधिवक्ता श्री रमेश चन्द्र गर्ग, ने अधिकार पत्र एवं जवाब पेश किया। विपक्षी की ओर से जवाब प्रस्तुत होने से बहस प्रकरण उभय पक्ष सुनी गई।

राजकीय अभिभाषक ने आवेदन में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम चित्तौड़गढ़ की मेवाड़ बन्दोबस्त की आराजी नम्बर 1589 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा भूमि किस्म नाडी बिलानाम दर्ज थी। उक्त भूमि की किस्म नाडी होने से इसे किसी भी व्यक्ति के नाम दर्ज नहीं की जा सकती थी। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रेकार्ड में दर्ज झील, तालाब, नदी, नाले, एवं जलाशय की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार प्रोदभूत नहीं होते हैं। गत बन्दोबस्त की आराजी नम्बर 1589 किस्म नाडी दर्ज थी। उक्त किस्म की भूमि को किसी भी व्यक्ति को कृषि अथवा अन्य प्रयोजनार्थ आवन्टन नहीं किया जा सकता था। गत बन्दोबस्त के आराजी नम्बर 1589 के अन्य आराजी नम्बरों के साथ नवीन बन्दोबस्त की आराजी संख्या 2334 रकबा 6.27 हैक्टेयर बने हैं जिसमें से 0.24 है. भूमि गत

न्यायालय जिला कलक्टर

जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बन्दोबस्त के आ. नं. 1589 की होकर नामान्तरकरण संख्या 2036 दिनांक 27.03.12 से राजस्व रेकार्ड में विपक्षी के नाम आबादी में अंकन है जो विधि-विपरीत होने से उक्त नामान्तरकरण निरस्त कराये जाने योग्य है।

अधिवक्ता विपक्षी ने अपने जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि यह आराजी पालिका के नाम आबादी में दर्ज हो चुकी है और आबादी भूमि होने से रेफरेन्स लागू नहीं होता है। उच्च न्यायालय का न्यायिक विनिश्चय अब्दुल रहमान बनाम सरकार इस प्रकरण की परिस्थितियों में किसी भी प्रकार से लागू नहीं होता है। धारा 16 टिनेन्सी एक्ट की परिधि में भी यह प्रकरण नहीं आता है तथा प्रार्थी को रेफरेन्स नहीं करके टिनेन्सी एक्ट के प्रावधानों के अनुसार घोषणाा का दावा करना चाहिए था। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत आवेदन निरस्त योग्य है अतः तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स आवेदन खारिज फरमाया जावे।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत अभिलेखों का गहनता से अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेख अनुसार ग्राम चित्तौड़गढ़ की गत बन्दोबस्त की आराजी नम्बर 1589 किस्म नाडी होने से इसे किसी भी व्यक्ति को आवंटन नहीं किया जा सकता था। आराजी नम्बर 1589 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा भूमि से अन्य आराजी नम्बरों के साथ मिलकर नवीन आराजी नम्बर 2334 रकबा 6.27 हैक्टेयर बने हैं जिसमें से 0.24 हैक्टेयर भूमि गत आराजी नम्बर 1589 का हिस्सा है जो कि मिलान क्षेत्रफल से स्पष्ट है एवं वर्तमान में विपक्षी के नाम आवंटन से राजस्व रेकार्ड में आबादी दर्ज है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अनुसार ऐसी भूमियां आवंटन योग्य नहीं है और इनमे खातेदारी अधिकार प्रोदभूत नही होते हैं। अतः ग्राम चित्तौड़गढ़ की गत बन्दोबस्त की आराजी नम्बर 1589 रकबा

जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1 बीघा 2 बिस्वा किस्म नाडी जो बन्दोबस्त होने से अन्य आराजी नम्बरों के साथ मिलकर हाल आराजी नम्बर 2334 रकबा 6.27 हैक्टेयर किस्म आबादी में से 0.24 है. आबादी भूमि नगर पालिका चित्तौड़गढ़ के नाम दर्ज होने से इसे माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के डी. बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित आदेश 02.08. 2004 के निर्देशानुसार दिनांक 15 अगस्त 1947 के समय के मौका एवं रेकार्ड की स्थिति को यथावत रखने हेतु आराजी नम्बर 2334 रकबा 6.27 है. में से 0.24 है. भूमि नामान्तरकरण संख्या 2036 दिनांक 27.03.2012 से निरस्त कराने हेतु माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर में रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पालना से अवगत करावें।

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।'

(शिवांगी स्वर्णकार)

जिला कलेक्टर

चित्तौड़गढ़

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official